

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2015

का.आ. 453(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, रचनात्मक कार्य समिति, गांधी चौक, आर.एस. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056, महाराष्ट्र” द्वारा “नेत्रहीन लड़कियों के लिए एनएफवीएम जागृति स्कूल हेतु एनएफवीएम मॉडल स्कूल परिसर और व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निमार्ण” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 2.50 करोड़ ₹0 की कॉर्पस निधि सहित 13.48 करोड़ ₹0 की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 27 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, रचनात्मक कार्य समिति, गांधी चौक, आर.एस. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056, महाराष्ट्र” द्वारा चलाई जा रही “नेत्रहीन लड़कियों के लिए एनएफवीएम जागृति स्कूल हेतु एनएफवीएम मॉडल स्कूल परिसर और व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निमार्ण” की परियोजना अथवा स्कीम को 2.50 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 13.48 करोड़ ₹0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 83/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.सं.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)